राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांकः एफ–9/सा.प्र./ई–प्रोक्यूरमेंट सैल/2024/28330 दिनांकः 30/3/2024

M/S Yadav Travels,
P-5, Shimla Vihar Colony, Airport ke samne,
Airport Sanganer, Jaipur-302029 (Raj.)
Mobile: 9829054283

विषय : किराये के वाहनों के उपयोग हेतु की गई दर संविदा बाबत्।

संदर्भ : क्रमांकः एफ–9/सा.प्र./ई–प्रोक्यूरमेंट सैल/2024/27844 दिनांक 14.02.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित Letter of Acceptance पत्र क्रमांकः एफ–9/सा.प्र./ई–प्रोक्यूरमेंट सैल/2024/28386 दिनांक 07.03.2024 के अनुसार आप द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र एवं प्रतिभूति राशि की बैंक गांरटी जमा कराये जाने के उपरान्त दिनांक 01.04.2024 से आगामी दो वर्ष की अवधि के लिये उपलबध कराये जाने वाले विभिन्न श्रेणी के वाहनों की दरें आप द्वारा निविदा में प्रस्तुत दरें निम्न तालिकानुसार सक्षम स्तर पर अनुमोदित कर तद्नुसार कार्यादेश क्रमांक : एफ–9/सा.प्र./ई–प्रोक्यूरमेंट सैल/2024/28612 दिनांक 16.03.2024 जारी किया गया था जिसकी सामान्य शर्ते एवं अन्य कार्य विवरण निम्नानुसार है :–

M/s Yadav Travels				
S.No.	Item Description : Hiring of Vehicles on Annual Rate Contract on demand basis category-wise of vehicles	Package Rates in Rs. Without GST: Upto 6 Hours and upto 100 k.m.	Pakage Rates in Rs. Wiithout GST: Up to 12 Hours and up to 250 k.m.	Rates for all the Package in Rs. per k.m.
1.	Al Hetchback/Sidan Cars/Indigo/Logan/Etios/Desire or equivelent AC	1540.00	2440	9.88
2.	A2. SUV Vehicle Innova, Safari, Scorepio, Tavera, Bolero etc. AC	1840.00	3490.00	15.88
3.	B3. Mahindra Pick up covered (Non-AC) of similar	1590.00	3940.00	15.38
4.	B4. Mahindra Pick up covered AC or similar	1590.00	3940.00	16.38
5.	B5. Tempo Traveler Non-AC	2790.00	5440.00	22.38
6.	B6. Tempo Traveler AC	2990.00	5690.00	23.38
7.	B7. Tempo Trax	1990.00	3990.00	16.38
8.	B8. Tata Magic (Covered) of similar	1490.00	3490.00	13.38
9.	C11. Bus Mini (25-27 Seaters)	3490.00	7440.00	30.78

निविदा प्रपत्रों के अनुसार अनुबन्ध की विशेष शर्तें :–

1. मॉडल : किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन 2018 या इसके बाद का मॉडल होना चाहिये।
2. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन राजस्थान विश्वविद्यालय सीमा के बाहर जाने पर रात्रि प्रभार प्रति राशि रू. 200/–, पार्किंग शुल्क, अल्पावधि अन्तर्राजीय एवं टौल टैक्स की रसीद प्रस्तुत करने पर राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा उनका भुगतान किया जावेगा।
3. वाहनों के चालक निर्धारित वर्दी में होने चाहिये। वाहन साफ–सुथरा, बिना किसी स्क्रेच तथा वाहनों में पानी की बोतल की व्यवस्था भी रखनी होगी।
4. जयपुर या जयपुर से बाहर जाने पर राशि 10:00 बजे पश्चात् राशि चार्जेज 200/– रूपये राशि देय होगी।
5. टोल टैक्स, पार्किंग टैक्स दरों में सम्मिलित नहीं है। परन्तु रसीद/संदेश संलग्न करना होगा।
6. समय व कि.मी. की गणना राजस्थान विश्वविद्यालय कैम्पस से की जायेगी।

7. लॉग बुक में किराये पर लिये गये वाहनों के कि.मी. का स्पष्ट ब्यौरा प्रयोगकर्ता एवं वाहन चालक के सहयोग से देना होगा और सत्यापित करना होगा। बिना लागबुक के बिल स्वीकार नहीं किये जाएगें।

8. वाहन चालक द्वारा निर्धारित ड्यूटी स्लिप एवं लॉग बुक रखनी होगी, जिसे प्रयोगकर्ता द्वारा भरनी होगी एवं प्रयोगकर्ता द्वारा नाम व पद सहित प्रमाणित किया जना आवश्यक होगा।

9. भुगतान के लिये बिल प्रस्तुत करते समय दो प्रतियों में ड्यूटी स्लिप व लॉग बुक की प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत करनी होगी व बिल पर जी.एस.टी. क्रमांक अनिवार्य होगा। बिल 1 माह में प्रस्तुत करने होंगे।

10. कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार/परीक्षा नियंत्रक/उप–कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)/सहायक कुलसचिव/अनुभागाधिकारी (सामान्य प्रशासन) की लिखित अथवा दूरभाष अनुमति के बिना आप द्वारा किसी को भी वाहन उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे। इसके अभाव में विश्वविद्यालय भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। मौखिक आदेश को लिखित आदेश में परिवर्तन करवाना होगा। दूरभाष व मौखिक वाहनों के निर्देशों की पुष्टि वाहन रवाना होने तथा उसी दिन फर्म द्वारा सा.प्र. अनुभाग को सूचना प्रदान करनी होगी उसके आधार पर सामान्य प्रशासन लिखित में आदेश जारी करेगा। विश्वविद्यालय कार्य हेतु कोई विभाग/इकाईयां सामान्य प्रशासन अनुभाग की अनुमति से अनुबन्धित फर्म से उपयोग हेतु वाहन लिया जाना आवश्यक होगा।

11. डीजल की दरों में बढ़ोतरी/घढोतरी होने पर अनुबन्ध की सामान्य शर्त संख्या 15 अनुसार मूल्य समायोजन किया जावेगा।

12. समय की गणना रेलवे समय के समयानुसार 0 घन्टे से होगी।

13. यदि फर्म द्वारा 05 वर्ष कार टैक्सी आदि एवं 07 वर्ष लोडिंग वाहन से पुराने वाहन उपलब्ध कराये जाते हैं तो बिल का 10 प्रतिशत पैनल्टी के रूप में काट लिया जायेगा।

14. परीक्षा कार्यों के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहनों के आदेश स्पष्ट देने होंगे जिस पर वाहन का रूट, मय यात्रा स्थान वाहन का प्रकार व जाने वाले व्यक्ति का नाम एवं विभाग का नाम भी देना होगा। परीक्षा कार्य से सम्बन्धित समस्त वाहनों के बिलों पर परीक्षा नियंत्रक महोदय द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा।

15. वाहन पूर्णतया साफ सुथरा आरामदायक होना अनिवार्य है। किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन अच्छे कन्डीशन एवं मजबूत होना अनिवार्य है। इसके अभाव में उस वाहन के बिल में से 10 प्रतिशत की कटौती की जायेगी। वाहन का ब्रेक, लाईट, बैट्री, Hour मीटर आदि अच्छी व सही हालत में होना चाहिये। वाहन का बीमा, पी.यू.सी., रोड टैक्स इत्यादि का सम्पूर्ण दायित्व फर्म का होगा अन्यथा इसके अभाव में किसी भी विधिक वाद या विवाद की जिम्मेदारी फर्म की होगी। समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो कॉपी कुलसचिव कार्यालय का वाहन उपलब्ध कराने के एक दिवस पूर्व में प्रस्तुत करनी होगी।

16. वाहनों का माईलोमीटर/Hour मीटर नियमित रूप से सही रखा जाना आवश्ययक है। जिसका गैराज अभियन्ताओं या अन्य ऑथोरिटीज द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। सही नहीं पाये जाने पर 300/– रू. प्रति दिवस शास्ति लगायी जावेगी।

17. ठेकेदार द्वारा दर अनुबन्ध संपादित करते समय वाहनों की श्रेणीवार सूची मय पंजीयन कागजात प्रस्तुत करनी होगी।

18. फर्म द्वारा कार्य सम्पादन में व्यवधान डालने के प्रयास दण्डनीय होंगें तथा इस बाबत् कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

19. फर्म का कार्य संतोषजनक न होने पर एवं उसे इस आशय के तीन या तीन माह से अधिक चेतावनी पत्र प्राप्त हुए तो उसे इस सूची से बाहर कर दिया जावेगा एवं नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी। ऐसी फर्म अगले सत्र के इस प्रकार के कार्यों से सम्बन्धित निविदा में भाग लेने योग्य नहीं पायी जावेगी व काली सूची में डालने की कार्यवाही की जावेगी।

20. किराये पर उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहनों की संख्या विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अतिरिक्त वाहन की मांग पर आदेश/निर्देश होने के बाद शीघ्र वाहन उपलब्ध कराना होगा। न्यूनतम दरदाता द्वारा आदेश/निर्देशों पर वाहनों की आपूर्ति नहीं करने एवं शिकायतों पर विश्वविद्यालय अन्य फर्मो को भी आवश्यकतानुसार कार्यादेश देने के लिए स्वतंत्र होगा जिसके लिए न्यूनतम दरदाता फर्म की कोई शिकायत/क्लेम/शर्त मान्य नहीं होगी।

21. वाहन चालक का सम्बन्धित श्रेणी का मोटरयान चलाने का वैध व्यवसायिक लाईसेन्स होना आवश्यक है, चालक को जयपुर शहर के रास्तों की जानकारी एवं उसका व्यवहार अच्छा होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के दुर्व्यहार की स्थिति में सेवा असंतोषजनक मान ली जावेगी। चालक द्वारा वाहन चलाते समय धूम्रपान का सेवन व अन्य किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। वाहन चालक से सम्बन्धित सभी दायित्वों जैसे वेतन, भत्ते, बीमा, स्वास्थ्य लाईसेन्स एवं श्रम कानूनों सम्बन्धी इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी। यदि किसी दिन उपयोगकर्ता अधिकारी चालक के अंसतोष –जनक व्यवहार/खराब ड्राईविंग/धूम्रपान/किसी प्रकार का नशे/आदेशों की अवहेलना/जान–बूझकर वाहन के लेट रिपोर्ट करने/निर्देशों के बाद भी गन्तव्य पर इन्तजार न करने/प्रातः लेट रिपोर्ट करने/सांय यूजर अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय से पूर्व चले जाने इत्यादि की रिपोर्ट करते है तो 500/– रू. की शास्ति वसूल की जायेगी एवं यूजर अधिकारी के 'कार्य नहीं किया गया' नोट डालने पर उस दिवस का भुगतान न देकर 500/– रू. की शास्ति वसूली की जायेगी।

22. कार्य के सुस्पष्ट एवं विसंगतिहीन प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता द्वारा लॉगबुक पर किया जावेगा।

23. फर्म के वाहन में समुचित डीजल/ल्यूब्रिकेंट की व्यवस्था रखनी होगी। वाहन उपयोग के समय आकस्मिक रिपेयर की अवस्था में वैकल्पिक व्यवस्था निविदादाता को तुरन्त करनी होगी। नहीं करने की स्थिति में अनुपातित रूप से कटौती की जाकर 500/– रू. की शास्ति भी वसूल की जायेगी।
24. फर्म को यूजर अधिकारी द्वारा कि.मी./समय का प्रमाणिकरण करवाना होगा एवं उप कुलसचिव, सा.प्र. से प्रतिहस्ताक्षर कराने होंगे।
25. प्रति दिवस वाहन संचालन की अवधी कार्यादेश में अंकित अनुसार होगी। जिसमें फर्म को राजस्थान विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार कार्य सम्पादितं करना पडेगा। वाहन को निर्धारित अवधि से अधिक काम में लिया जा सकता है। जिसका अनुपातिक रूप से या वार्षिक दर अनुबन्ध से दोनों में से जो भी लागू होगा भुगतान किया जावेगा तथा कम कार्य करने पर कम किये गये कार्य के घण्टों की कटौती समानुपातिक रूप से काटी जा सकती है। जिसके लिए फर्म मना नहीं कर सकेगी। 12 घण्टों से अधिक काम में लेने पर कुलसचिव (राजस्थान विश्वविद्यालय) से स्वीकृति लेना वांछित रहेगा एवं 12 घण्टों से अधिक कार्य करने पर फर्म द्वारा मना करने पर 1000/– रू. की प्रति दिवस की शास्ति लगाई जावेगी तथा उस दिवस का भुगतान देय नहीं होगा।
26. वाहन को गैराज अधिकारी के निर्देशानुसार यूजर अधिकारी को उसके द्वारा निर्देशित स्थान समय पर रिपोर्ट करना होगा। निर्देशित स्थान व समय पर वाहन का रिपोर्ट नहीं करने पर 500/– रू. प्रति वाहन, प्रति दिवस शास्ति लगाई जोवगी।
27. दर संविदा की अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश से 02 वर्ष के लिये होगी। तदुपरान्त आवश्यकता पडने पर अनुबन्ध काल की अवधि आर.टी.पी.पी. नियम 2013 एवं एक्ट 2012 के अनुसार वृद्धि कर आपसी सहमती से बढ़ाई जा सकती है। श्रीमान कुलपति, कुलसचिव या वित्त नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को किसी भी समय बिना कारण बताये अनुबन्ध को निरस्त करने का अधिकार होगा।
28. कार्य की सुदृढ व्यवस्था की दृष्टि से समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना हेतु निविदादाता बाध्य होगा।
29. वाहन की लॉग बुकें स्टोर इन्चार्ज/उप–कुलसचिव (सामान्य प्रशासन) कार्यालय से सत्यापित कराकर ही काम में लेनी होगी अन्यथा प्रति लॉगबुक 500/– रू. शास्ति लगाई जावेगी।
30. वाहन की दुर्घटना होने पर सभी प्रकार के पुलिस अथवा न्यायिक प्रसंगों के लिए फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी। इनसे सम्बन्धित किसी भी प्रकार के क्लेम/दायित्वों के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
31. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

शेष शर्तें निविदा शर्तो एवं आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं RTPP Rules-2013 के अनुसार लागू होगी।

पत्र में वर्णित उपरोक्त निविदा की विशेष शर्तों के अनुसार वाहन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।

Sd
कुलसचिव

क्रमांकः एफ–9/सा.प्र./ई–प्रोक्यूरमेंट सैल /2024/28881-956 **दिनांक** 30/3/2024
प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषित हैः–
1. समस्त प्राचार्य संबद्ध महाविद्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्रभारी अधिकारी, रा.वि.वि., जयपुर।
3. मुख्य कुलानुशासक, छात्र अधिष्ठाता छात्र कल्याण, मुख्य आवासाधिकारी (पुरूष/महिला), रा.वि.वि., जयपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
5. वित्त नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
6. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
7. रक्षित पंजिका सा.प्र. अनुभाग, रा.वि.वि., जयपुर।

28.3.2024
उप कुलसचिव (सा.प्र.)